भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2535

14 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन

2535.श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत वाहनों के उत्पादन का लाभ उठाने के लिए कार्रवाई के किसी कार्यक्रम की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : जी हाँ। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र विनिर्माण और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों (एक्सईवी) का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में शुरु की।वर्तमान मे, फेम इंडिया स्कीम केचरण -।। को 01 अप्रैल,2019 से5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सेलागू किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझापरिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है औरइसके अंतर्गत सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों,5 लाख ई-तिपहिया वाहनों,55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा , इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता को दूरकरने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु भी सहायता प्रदान की जातीहै।

साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिएसरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है। स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रूपये है। इस स्कीम में, देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण (50 गीगावाट घंटा) व्यवस्थास्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त , 5 गीगावाट घंटे की "उत्कृष्ट" एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

साथ ही, बैटरी-चालित इलेक्ट्रिक वाहन भी ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैंजिसे पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

***